

27<sup>th</sup>  
2019

पत्रावली फौजदारी वकील डिप्टीदार उप.। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि  
इसका प्रमाण से सम्बन्धित मूल डिप्टी के विरुद्ध न्यायालय  
अधीन RMA में अपील ही चुकी है तथा इस न्यायालय की पत्रावली  
अपीलीय न्यायालय को भिजवाई जाने के आदेश दिनांक 19.2.19  
को दिखे जाते हैं। अतः मूल डिप्टी की अपील विपक्षीय  
रहने तक इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं जाना  
अथवा नहीं सम्भव है। अतः अपील विपक्षीय  
रहने तक इस पत्रावली पर कार्यवाही स्थगित की जाती है।  
पत्रावली का प्रिलिम्नार्ड की जायज नष्ट से एक

है।  
**उपसुब्बाधिकारी**  
मैसर्स (सिज)